बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—:संकल्प :—

शेखपुरा प्रखंड अंतर्गत वाजिदपुर कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य (योजना सं0—3/2008—09) रैयती जमीन पर कराये जाने संबंधी मामले में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले मो0 अनवर हुसैन, तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल—1, बेतिया के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में इनके पत्रांक 2116 दिनांक 01.10.2024 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि आलोच्य योजना का प्राक्कलन श्री शत्रुधन प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा के द्वारा तैयार किया गया था, जिसका संयुक्त रूप से कब्रिस्तान अवस्थित स्थल का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा दिया गया था, जिसमें जमीन से संबंधित खाता, खेसरा का कोई जिक्र नहीं था। जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के द्वारा भी अपने अपने ज्ञापांक—279 दिनांक 10.05.2008 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। श्री हुसैन का कहना है कि उक्त योजना का मात्र तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा प्रदान की गयी है। योजना का कार्यान्वयन एवं कार्य अन्य लोगों के द्वारा कराया गया है।

2. श्री हुसैन से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि तकनीकी स्वीकृति देने के क्रम में श्री हुसैन द्वारा किये गये स्थल भौतिक निरीक्षण में सहायक अभियंता होने के नाते उनका यह दायित्व बनता था कि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व वे रैयती जमीन के संबंध में आश्वस्त हो लेते। इस प्रकार समीक्षोपरान्त मो0 अनवर हुसैन तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा सम्पति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल—1, बेतिया का स्पष्टीकरण अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2917 दिनांक 20.11.2024 द्वारा इनके विरूद्ध लघु दंड के रूप में दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

3. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री हुसैन के पत्रांक 3139 दिनांक 27.12.2024 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यतः यह कहा गया कि कनीय अभियंता द्वारा तैयार प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन हेतु तैयार प्रतिवेदन के आधार पर इनके द्वारा तकनीकी स्वीकृति नहीं बल्कि तकनीकी अनुमोदन (पी0डब्लू0डी0 कोड के संगत) दी गयी थी, जिसमें भूमि के स्थल संबंधित कोई बिन्दु विचार नहीं होता है। भू—अभिलेख आदि के आधार पर स्थल आदि पर विचार प्रशासनिक स्वीकृति देने के क्रम में होता है, जो प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी के द्वारा होता है। योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—5413 दिनांक—27.09.2013, पत्रांक 1474 दिनांक 18.12.2023 एवं पत्रांक 5602 दिनांक 18.12.2023 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि योजना स्थल के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का मौलिक दायित्व प्रशासनिक स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का होता है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के

पत्रांक 279 दिनांक 10.05.2008 द्वारा दी गयी थी। श्री हुसैन द्वारा का कहना है कि योजना का कार्यान्वयन अभिकर्ता, मापी–पुस्तिका अंकित करने एवं उसकी पुष्टि करने वाले तकनीकी पदाधिकारी एवं उक्त योजना के कार्य का भुगतान करने वाले पदाधिकारी वे नहीं थे।

इसके अतिरिक्त श्री हुसैन द्वारा यह भी कहा गया कि इसी मामले में इन्हें कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त किया गया है, अतः यहाँ भी दण्डादेश वापस ले लिया जाय।

4. श्री हुसैन द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन एवं इसके साथ संलग्न अनुलग्नकों के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इस मामले को लेकर चले आपराधिक वाद में श्री हुसैन का Acquittal नहीं हुआ है बल्कि इन्हें साक्ष्य की कमी होने के कारण तकनीकी आधार पर Discharge किया गया है। विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही दो अलग–अलग मामले हैं तथा दोनो भिन्न–भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र हैं। अतएव इस आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री हुसैन द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 अनवर हुसैन, तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, बेतिया के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 27.12.2024 को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/5/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–56/2020 5622 /पटना, दिनांकः– 28.5.25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

26/5/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–56/2020 5622 /पटना, दिनांकः– 28.5.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–56/2020 5622 /पटना/दिनांकः– 28.5.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मो0 अनवर हुसैन तदेन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, शेखपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25

अवर सचिव